कार्यकारी सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय, 2014–15 से तुलनात्मक रूप में 2018–19 में बढ़ा है जबकि 2017–18 की तुलना में पूँजीगत व्यय में कमी आई। मुद्रास्फीति के साथ लेखांकन (स्थिर मूल्य पर) के बाद, 2014–15 की तुलना में 2018–19 में राजस्व व्यय में वृद्धि की दर बढ़ी जबकि राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय में कमी आई। 2017–18 की तुलना में, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय की वृद्धि दर में बढ़त हुई थी। हालांकि, पूँजीगत व्यय की वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम थी।

(कंडिका 1.1.1)

राज्य ने चौदहवें वित्त आयोग और एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के अंतर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा को हासिल किया है जबकि बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं किया। यद्यपि, राज्य ने 2018–19 के लिए बजट अनुमानों में अनुमानित, जी0एस0डी0पी0 लक्षित के साथ बकाया ऋण का अनुपात हासिल किया है, लेकिन राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नही किया है।

(कंडिका 1.1.2)

राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2014–15 में ₹ 5,050 करोड़ से घटकर 2018–19 में ₹ 3,736 करोड़ हो गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा वर्ष 2017–18 के सापेक्ष क्रमशः तीन प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत कम रहा।

(कंडिका 1.2,2)

घाटे की प्रवृत्ति

वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 7,926 करोड़ कम हुआ जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 498 करोड़ कम हो गया। जी0एस0डी0पी0 से राजकोषीय घाटे का अनुपात 2.48 प्रतिशत था जो वर्ष 2018–19 में चौदहवें वित्त आयोग तथा बी0एफ0आर0बी0एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के सीमा के भीतर था।

(कंडिका 1.1.2 एवं 1.2.3)

संसाधन संग्रहण

2017–18 से 2018–19 में राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 14,347 करोड़ (12.22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट प्राक्कलन से ₹ 26,257 करोड़ (16.61 प्रतिशत) कम था।

2017–18 से 2018–19 में राजस्व व्यय में ₹ 22,273 करोड़ (21.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट प्राक्कलन से ₹ 11,843 करोड़ (8.66 प्रतिशत) कम था।

2017–18 से 2018–19 में पूँजीगत व्यय में ₹ 7,849 करोड़ (27.15 प्रतिशत) कमी हुई, और यह बजट प्राक्कलन से ₹ 11,359 करोड़ (35.04 प्रतिशत) कम था।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बजट तैयारी कि प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।*

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.2.4)

भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 में सहायता अनुदान में ₹ 1,068.51 करोड़ की कमी मुख्य रूप से 'अन्य स्थानान्तरण/राज्यों/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान' के तहत कम प्राप्तियों के कारण हुई।

(कंडिका 1.3.2.4)

प्रतिबद्ध व्यय

सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में राजस्व शीर्ष के अंतर्गत मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी पर व्यय (₹ 19,968.39 करोड़), पेंशन (₹ 16,027.75 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 10,071.14 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 8,323.97 करोड़) शामिल है। कुल प्रतिबद्ध व्यय (₹ 54,391.25 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 77,531.83 करोड़) का 70.15 प्रतिशत है।

(कंडिका 1.4.3)

नई पेंशन योजना (एन0 पी0 एस0)

वर्ष 2018–19 के दौरान, ₹ 1,141.28 करोड़ रुपये मुख्य शीर्ष 8342 और ₹ 0.02 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011 के तहत जमा किया गया। इसमें ₹ 10.26 करोड़ की देय राशि के मुकाबले एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित नहीं किये गए एवं उपलब्ध शेष राशि पर सरकार द्वारा जमा किए गए ब्याज के रूप में ₹ 6.52 करोड़ शामिल थे। राज्य सरकार ने एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक को केवल ₹ 1,081.26 करोड़ जमा किए और वर्ष 2018–19 के दौरान एन0एस0डी0एल0 के खाते में एन0 पी0 एस0 के तहत एकत्र ₹ 60.04 करोड़ जमा करने में विफल रही। 31 मार्च 2019 तक एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में जमा नहीं की गई कुल राशि ₹ 188.32 करोड़ (शीर्ष 8011 के तहत ₹ 41.11 करोड़ और शीर्ष 8342 के तहत ₹ 147.21 करोड़) थी।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन से पूरी तरह से कटौती की जाए एवं यह पूरी तरह से सरकार के योगदान से मेल खाए और समय पर पूरी तरह से एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित कर दिया जाए।*

(कंडिका 1.4.3.1)

लोक व्यय की पर्याप्तता

विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और शिक्षा सेवाओं पर व्यय, कुल व्यय के अनुपात में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। हालांकि, कुल व्यय में आर्थिक क्षेत्र के व्यय का अंश पाँच साल की अवधि में 2018–19 में घट गया। जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

(कंडिका 1.4.5.1)

अपूर्ण परियोजनाएँ

2011–12 से 2018–19 की अवधि के दौरान, कुल 68 परियोजनाएँ पूरी होने वाली थीं। चूँकि, ₹ 790.99 करोड़ की अनुमानित लागत वाली सभी 68 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, उनकी संशोधित लागत वित्त लेखा में प्रदर्शित नहीं की गई, इस प्रकार इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कि परियोजनाओं मे देरी के कारण होने वाले लागत को कम कर, ससमय पूरा किया जा सके। सभी*

अपूर्ण परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को तैयार किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का वास्तविक मूल्यांकन हो सके।

(कंडिका 1.5.2)

निवेश एवं ऋण पर प्रतिलाभ

2018–19 के दौरान, राज्य सरकार को उधारी लागत तथा विभिन्न इकाईयों मे निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण ₹ 1,739.28 करोड़ की कल्पित हानि हुई।

अनुशंसाः *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को इकाईयों में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए तथा जिन इकाईयों के लेखे बकायें हैं, उनमें कोई निवेश नहीं करना सुनिश्चित की जानी चाहिए।*

(कंडिका 1.5.3)

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

विभिन्न इकाईयों पर ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज पिछले वर्षों से बढ़ कर 31 मार्च 2019 को ₹ 9,038.12 करोड़ हो गया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।*

(कंडिका 1.5.4)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छः आरक्षित निधियाँ हैं। पिछले 18–19 वर्षों से तीन आरक्षित निधियों यथा, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि तथा सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि में कोई लेन–देन नहीं हुआ।

अनुशंसाः *वित्त विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन–देन नहीं हुआ है।*

(कंडिका 1.6.2)

निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की, जो कि केवल बाजार ऋण के परिशोधन के लिए थी और 2014–15 से, इसका उपयोग सरकार के लंबित देयताओं के परिशोधन के लिए किया जाना था, जबकि आरंभ से ही इसका उपयोग नहीं हुआ। 31 मार्च 2019 को निधि का अंत शेष ₹ 4,895.12 करोड़ था।

(कंडिका 1.6.2.1)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0)

1 अप्रैल 2018 को निधि का आरंभिक शेष मात्र ₹ छः हजार था। वर्ष के दौरान, ₹ 1430.66 करोड़ (केंद्रः ₹ 1362.79 करोड़ और राज्यः ₹ 67.87 करोड़) की राशि प्राप्त की गयी तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,430.65 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2019 को अंतः शेष ₹ 78,850.00 रह गया।

(कंडिका 1.6.2.2)

प्रत्याभूति की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने ना तो प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना की और ना ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया।

(कंडिका 1.6.3)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

2018–19 के दौरान, राज्य द्वारा ली गई उधार निधियों में से 97.19 प्रतिशत राशि का उपयोग वर्तमान दायित्वों की अदायगी में किया गया और यह राज्य के पूँजी निर्माण/विकासात्मक क्रियाओं में व्यय नहीं किया जा सका।

(कंडिका 1.7.2)

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

डिस्कॉम के पुनरूत्थान पैकेज के अनुसार, राज्य सरकार ने गैर सांविधिक बॉन्ड जारी कर कंपनियों के ऋण (₹ 2,331.78 करोड़) का अधिग्रहण किया। उदय योजना के अंतर्गत जारी बॉन्ड पर राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 में ₹ 191.36 करोड़ ब्याज की अदायगी की।

(कंडिका 1.7.4)

बचत

2018–19 में कुल अनुदानों/विनियोगों (₹ 2,09,489.83 करोड़) के विरूद्ध ₹ 49,172.17 करोड़ (24 प्रतिशत) का बचत हुआ। वर्ष 2018–19 के दौरान, 09 अनुदानों में, ₹ 1,000 करोड़ और अधिक के उल्लेखनीय बचत कुल ₹ 36,304.81 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 1,01,070.11 करोड़ का 35.92 प्रतिशत) हुआ था। कुल अनुदान/विनियोग के बीच महत्वपूर्ण विविधता (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक) 29 अनुदानों/विनियोगों के तहत ₹ 42,302.53 करोड़ के बचत की ओर ले जाती है। पाँच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान, 25 अनुदानों से संबंधित 27 मामलों में, कुल ₹ 29,000.34 करोड़ और अधिक का सतत् बचत हुआ था। 43 मामलों (37 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 18,273.32 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक प्रावधान न किया जाए। वित्त विभाग को सतत बचत के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए तथा ऐसी स्थिति से बचने के लिये आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि आवंटित निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।*

(कंडिका 2.2, 2.3.1, 2.3.2 एवं 2.3.3)

निधियों का अभ्यर्पण

वर्ष के दौरान, ₹ 49,172.17 करोड़ के कुल बचत में से केवल 94.26 प्रतिशत (₹ 46,349.77 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 2,822.40 करोड़ के बचत (कुल बचत का 5.74 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। आगे, ₹ 27,527.23 करोड़ (कुल अभ्यर्पण का 59.39 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2019 के अंतिम कार्य दिवस को किया गया जिससे इन राशियों के उपयोग की कोई गुंजाईश नहीं

रही। 38 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 232 विस्तृत लेखा शीर्षों में शत्–प्रतिशत निधि (₹ 4,686.68 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि राशियों को अनावश्यक रूप से न रोके रखा जाए एवं अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण किये जाने एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पण कर दिया जाए।*

(कंडिका 2.2 एवं 2.3.5)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 2018–19 में, राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 7,079.61 करोड़ कर दिया। इसकी तुलना में, भारत सरकार का आकस्मिकता निधि कोष ₹ 500 करोड़ है। वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 4,353.49 करोड़ की राशि के 109 आहरण किये गये जिसमें से कुल ₹ 386.85 करोड़ (8.89 प्रतिशत) के 34 आहरण गैर–आकस्मिक व्यय के लिए किया गया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को आकस्मिक निधि कोष में ऐसी वृहद वार्षिक वृद्धि की प्रथा की समीक्षा करनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए ही किया जाए जैसा कि संविधान एवं बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम में परिकल्पित है।*

(कंडिका 2.4)

असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय

विभागाध्यक्षों ने वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 22,447.47 करोड़ (39 प्रतिशत) की प्राप्तियाँ और ₹ 1,27,896.89 करोड़ (88 प्रतिशत) के व्यय क्रमशः प्राप्तियों के 31 एवं व्यय के 80 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत का समाशोधन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार की पुस्तिकाओं के साथ नहीं किया।

अनुशंसाः *वित विभाग को एक क्रियाविधि विकसित कर इसे नियंत्रणी पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वे प्रत्येक महीने अपने प्राप्तियों एवं व्यय को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के पुस्तिकाओं के साथ मिलान करें।*

(कंडिका 2.6)

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते

मार्च 2019 तक मौजूदा 175 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 4,377.12 करोड़ शेष था। इन 175 पी0डी0 खातों में से 95 खाते 47 कोषागारों में विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे, इनमें से 90 में शेष शून्य और पाँच खातों में ₹ 27.73 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी। पी0डी0 खातों के शेष राशि का समय–समय पर समाशोधन नहीं होने और पी0डी0 खातों में पड़े अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

(कंडिका 3.1.1 और 3.1.2)

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (भ0अ0नि0श्र0) कल्याण उपकर

भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड के 2015–16 तक के लेखाओं का ही अंतिमीकरण किया गया है। बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर 15 कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही थी, लेकिन व्यय केवल सात योजनाओं

पर किया गया जिससे 2,58,173 श्रमिकों (राज्य में 13,87,686 पंजीकृत श्रमिकों का 18.60 प्रतिशत) को लाभान्वित किया गया।

अनुशंसाः *बिहार भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ससमय लेखा तैयार हो तथा प्रासंगिक अभिलेख का संधारण हो ताकि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्यदशा में सुधार तथा उनके लिये लागू योजनाओं के अधीन उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के अधिदेश को पूरा किया जा सके।*

(कंडिका 3.2.1)

लेखाओं में अपारदर्शिता

सर्वव्यापी लघु शीर्षों '800–अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत क्रमशः ₹ 1,460.41 करोड़ का राजस्व एवं ₹ 120.65 करोड का व्यय, वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता के अभाव को प्रदर्शित करता हैं।

अनुशंसाः *महालेखाकार (ले0 एंव हक0) के परामर्श से वित्त विभाग सभी मदों की व्यापक समीक्षा करा सकता है, जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियों और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।*

(कंडिका 3.3)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के लेखाओं का अंतिमीकरण

34 कार्यशील सा0क्षे0उ0/निगमों (136 लेखाएँ) और 39 अकार्यशील सा0क्षे0उ0/निगमों (1,084 लेखाएँ) का बकाया क्रमशः एक से 16 साल एवं एक से 42 साल तक का है जो कि कम्पनी अधिनियम/निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने 30 सा0क्षे0उ0 को ₹ 30,481.18 करोड़ की बजटीय सहायता (इक्विटी, ऋण, अनुदान, सब्सिडी और स्वीकृत देयता) उस अवधि में दिया, जिनमें उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक बकाया थे।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को उन सभी सा0क्षे0उ0 के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ बकाये लेखों की स्थिति यथावत है, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।*

(कंडिका 3.5.1, 3.5.2 एवं 3.5.3)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्रस्तुतीकरण

33 विभागों से सहायक अनुदान विपत्रों पर आहरित ₹ 55,405.09 करोड़ (2,453 यू0सी0) के उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2019 तक लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दुरूपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक विभाग निर्धारित समय सीमा में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित करें तथा उस अवधि तक दोषी अनुदानग्राहियों को आगे अनुदान जारी न करे।*

(कंडिका 3.6)

लंबित सार आकस्मिक विपत्र

15,495 सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र पर आहरित ₹ 5,770.55 करोड़ तक विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्रों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मार्च 2019 तक लंबित थे। इनमें शामिल 1,140 ए0सी0 विपत्रों पर ₹ 296.97 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल आहरित ए0सी0 विपत्रों का 47.03 प्रतिशत)

राशि का आहरण केवल मार्च 2019 में किया गया। आहरित अग्रिम जिसको लेखाबद्ध नहीं किया गया है, क्षति/गबन/दुष्कृत्य आदि के संभावना को बढ़ावा देता हैं।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के परे लंबित ए0सी0 विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए0सी0 विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ किया जा सकता है जो ए0सी0 विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।*

(कंडिका 3.7)

निवेशों/ऋणों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

वित्त लेखे में दर्शाए गए सा0क्षे0उ0 से संबंधित, राज्य सरकार के निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों के आंकड़े तथा सा0क्षे0उ0 द्वारा प्रदत्त आँकड़ों में अंतर था। वर्ष 2018–19 के दौरान निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों के आंकड़ों में यह अंतर क्रमशः ₹ 8,781.32 करोड़, ₹ 3,410.45 करोड़ एवं ₹ 5,252.45 करोड़ था।

अनुशंसाः *राज्य सरकार के विभिन्न सा0क्षे0उ0 संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों से संबधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।*

(कंडिका 3.8)

राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर गलत लेखांकन का प्रभाव

व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 में प्रत्येक को ₹ 600.75 करोड़ का राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

(कंडिका 3.11)

असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

आठ विभागों/संगठनों द्वारा आहरित ₹ 209.98 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की राशि मार्च 2019 तक समायोजन हेतु लंबित था जो वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापसी के योग्य थी।

अनुशंसाः *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदाय की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।*

(कंडिका 3.12)

राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ का विभाजन (नवम्बर 2000 से) अब तक किया जाना है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्त्ती राज्यों के बीच ₹ 11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।*

(कंडिका 3.13)